कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

–: संशोधित विविध आदेश :–

क्रमांक 53 /एक–11–1/09 उमरिया, दिनांक 23.04.2025

मैं **विवेक कुमार गुप्ता**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया, सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 15 एवं 21(4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य अधिनियमों में दी गई व्यवस्था व प्रावधान अनुसार तथा मान्नीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देश व आदेश अनुसार, उमरिया जिले में नवीन पदस्थापना पर एवं अन्य जिले से स्थानातंरित होकर आये न्यायिक अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार सिविल एवं दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश पारित करता हूँ :–

क्र.	नाम न्यायालय	क्षेत्राधिकार	कार्य विभाजन
1	श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया	सत्र खण्ड सिविल जिला उमरिया, राजस्व जिला उमरिया राजस्व तहसील उमरिया एवं नगरपालिका/नगर निगम एवं केन्टोनमेंट सीमा की क्षेत्रीय सीमाओं को छोड़कर तथा तहसील बांधवगढ़ के क्षेत्राधिकार को छोड़कर संपूर्ण राजस्व जिला उमरिया।	1–समस्त प्रकार के सत्र प्रकरण। 2–सभी आपराधिक अपीलें। 3–सभी आपराधिक पुनरीक्षण। 4–मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 5–पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर शेष अजा./अजजा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम से उत्पन्न होने वाले सभी मामले एवं उक्त अधिनियम के प्रकरणों में उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 6–पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर शेष अ.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण एवं उक्त प्रकरण में पेश धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आवेदन। 7–धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र (ऐसे प्रकरण जिनकी सुनवाई हेतु विशेष अधिकारिता प्रदान की गई है, को छोड़कर)। 8–बीएनएसएस की धारा 448 के अधीन सभी मामले 9–अन्य ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जो किसी विधान के अन्तर्गत हों एवं सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य हो। 10–नियमित सिविल वाद जिसका मूल्यांकन 1,00,00,000 (एक करोड़) से अधिक हो एवं उन प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन एवं विविध वाद व इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की निष्पादन। 11–सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी आवेदन–पत्र। 12–लोकल एक्ट के अन्तर्गत व्यवहार

			न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील। 13–धारा 16(2) जागीर एवं लैण्ड रिफार्म्स एक्ट 1952 के अन्तर्गत वाद। 14–निर्वाचन याचिका नगर पालिका परिषद् अन्तर्गत धारा 20 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम। 15–अन्य विशेष अधिनियम एवं लोकल एक्ट के प्रकरण जो अन्य न्यायालयों को अधिकृत नहीं किये गये हैं । 16–विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण में पेश धारा 482 व 483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन। 17–व्यवहार वाद अंतर्गत धारा 92 व्य.प्र.सं.। 18–प्रकरण अंतर्गत आरबिट्रेशन एक्ट मूल्यांकन 1,00,00,000 (एक करोड़) रुपये से अधिक के तथा इनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन। 19–अन्य विशेष अधिनियम के प्रकरण जो जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हो। 20–प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उमरिया एवं द्वितीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उमरिया तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली, तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मानपुर के न्यायालय से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 21–ग्राम न्यायालय उमरिया के न्यायालय से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें। 22–म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन सभी निगरानी एवं निर्वाचन याचिका। 23–प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अन्तर्गत सभी मामले जिसमें ऋण ग्रस्तता रुपये 1,00,00,000 से अधिक हो। 24–अन्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो जिला न्यायाधीश की सुनवाई की अधिकारिता हो। 25–मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण। 26–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 27–अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों से संबंधित विचारणीय प्रकरण। 28. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विचारणीय पारिवारिक विवादों के प्रकरण। 29. दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत गोदनामा बावत आवेदन पत्र। 30. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के

			तहत प्रकरण। 31. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1968 के तहत प्रकरण। 32. विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रकरण। 33. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
2	श्रीमती नजमा बेगम, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया	सत्र खण्ड सिविल जिला उमरिया, राजस्व जिला उमरिया	1–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से उत्पन्न होने वाले सभी मामले एवं उक्त अधिनियम के प्रकरणों में उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 2–सत्र न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा आपराधिक विविध प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र। 3–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत वाद तथा धारा 276 के अंतर्गत प्रोबेट के लिए प्रस्तुत आवेदन। 4–म.प्र. म्यूनिसिपल एक्ट 37/01 की धारा 172(3) के अंतर्गत पुनरीक्षण। 5–भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) से उद्भूत मामलों की सुनवाई। 6–लघुवाद प्रकरण 500 रुपये से अधिक 1000 रुपये तक के मूल्य के। 7–लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत स्टेट ऑफीसर के आदेश के विरूद्ध अपील। 8–रेन्ट कण्ट्रोल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील। 9–भू–अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 18 के अंतर्गत मामले। 10–प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये सिविल प्रकरण। 11–अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक उमरिया के रिक्त न्यायालय के सभी आवश्यक कार्य। 11–स्वापक औषधि तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम से संबंधित उत्पन्न प्रकरण एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण में पेश धारा 482 व 483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन। 13–राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम से संबंधित उत्पन्न प्रकरण एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण में पेश धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आवेदन। 14–विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत/ उद्भूत निष्पादन एवं विविध वाद। 15–"आर्बीट्रेशन एक्ट अंतर्गत प्रकरण मूल्यांकन 5,00,000/– रूपये से 1,00,00,000/– (एक करोड़) रुपये तक के तथा इनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन" 16– सिविल जिला उमरिया की स्थानीय सीमा तक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत उत्पन्न दावों का विचारण।

			17– म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामलों का विचारण। 18–प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अन्तर्गत सभी मामले जिसमें ऋण ग्रस्तता 0/– रूपये से 1,00,00,000/– (एक करोड़) रुपये तक।
3	श्री अहमद रज़ा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया	सत्र खण्ड सिविल जिला उमरिया, राजस्व जिला उमरिया	1– सत्र न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा आपराधिक विविध प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र। 2– प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये सिविल प्रकरण। 3– आर्बीट्रेशन एक्ट अंतर्गत प्रकरण मूल्यांकन 0/– से 5,00,000/– रूपये तक के तथा इनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन।
4	श्री रामसहारे राज तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, उमरिया	सत्र खण्ड सिविल जिला उमरिया, राजस्व जिला उमरिया	1–लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) से संबंधित प्रकरण तथा ऐसे प्रकरण जिनमें पॉक्सो अधिनियम के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी सम्मिलित हों, के प्रकरण से उत्पन्न होने वाले सभी मामले जिनमें उक्त प्रकरणों से संबंधित जघन्य एवं सनसनीखेज मामले भी हो एवं उक्त अधिनियम के प्रकरणों में उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 2–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 3–महिलाओं से संबंधित (POCSO+OAW) सत्र प्रकरण।
5	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, को छोड़कर)	1–"व्यवहार वाद मूल्यांकन रूपये 50,00,001 (पचास लाख एक) से अधिक 1,00,00,000 (एक करोड़) तक के एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध वाद एवं निष्पादन प्रकरण। 2–लघुवाद रुपये 201 से 500 रुपये के मूल्य तक के। 3–अपील अंतर्गत धारा 139 एवं 172 (2) म.प्र. म्यूनिसिपलिटी एक्ट 1961। 4–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग–10 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण। 5–भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) से उद्भूत मामलों की सुनवाई। 6–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण।
6	श्रीमती वीणा खलखो, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, को छोड़कर)	1–मुख्यालय उमरिया एवं तहसील मानपुर क्षेत्रान्तर्गत "व्यवहार वाद मूल्यांकन रूपये 5,00,001/– (पांच लाख एक रूपये) से अधिक 50,00,000 (पचास लाख) तक के एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध वाद एवं निष्पादन

			प्रकरण। 2–अपील अंतर्गत धारा 139 एवं 172 (2) म.प्र. म्यूनिसिपलिटी एक्ट 1961। 3–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण।
7	श्री आशीष धुर्वे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, मानपुर को छोड़कर)	1–''व्यवहार वाद रुपये 3,00,001 (तीन लाख एक) से अधिक 5,00,000 (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण'' 2–व्यवहार वाद या अन्य न्यायिक कार्य जो समय–समय पर जिला न्यायाधीश उमरिया द्वारा अंतरित किये गये एवं उक्त न्यायालय से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3–प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व समस्त प्रकार के न्यायिक प्रकरणों की सुनवायी एवं अन्य आवश्यक कार्य।
8	श्री सरफराज खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, मानपुर को छोड़कर)	1–व्यवहार वाद रुपये 0/– (शून्य) से 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) तक के मूल्यांकन के एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण 2–लघुवाद 200 रुपये मूल्य तक के। 3–व्यवहार वाद या अन्य न्यायिक कार्य जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश उमरिया द्वारा अंतरित किये गये एवं उक्त न्यायालय से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4–प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व समस्त प्रकार के न्यायिक प्रकरणों की सुनवायी एवं अन्य आवश्यक कार्य।
9	श्रीमती पल्लवी सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, मानपुर को छोड़कर)	1–''व्यवहार वाद रुपये 1,50,001/– (एक लाख पचास हजार एक) से अधिक 3,00,000 (तीन लाख) तक के मूल्यांकन के एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण'' 2–व्यवहार वाद या अन्य न्यायिक कार्य जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश उमरिया द्वारा अंतरित किये गये एवं उक्त न्यायालय से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3–प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व समस्त प्रकार के न्यायिक प्रकरणों की सुनवायी एवं अन्य आवश्यक कार्य।
10	सुश्री पूजा गोले, द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	सिविल जिला उमरिया (केवल तहसील बिरसिंहपुर पाली)	1–व्यवहार वाद रुपये 5,00,001/– (पांच लाख एक रूपये) से अधिक 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) तक मूल्यांकन के एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2–अन्य वाद व प्रकरण जो व्यवहारवाद के 1,00,00,000 (एक करोड़) तक के मूल्य के हों। 3–लघुवाद प्रकरण 200/–रुपये से अधिक 500/– रूपये तक के (धारा 9 के द्वारा प्राधिकृत)। 4–भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) से उद्भूत मामलों

			की सुनवाई। 5–व्यवहार वाद या अन्य न्यायिक कार्य जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश उमरिया द्वारा अंतरित किये गये। 6–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग–10 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण।
11	श्री गोपाल नंदन पाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	सिविल जिला उमरिया (केवल तहसील बिरसिंहपुर पाली)	1–व्यवहार वाद रुपये 0/–(शून्य) से 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक मूल्यांकन के एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2–लघुवाद प्रकरण 200/–रुपये तक के (धारा 9 के द्वारा प्राधिकृत)। 3–व्यवहार वाद या अन्य न्यायिक कार्य जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश उमरिया द्वारा अंतरित किये गये एवं उक्त न्यायालय से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4–प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित व समस्त प्रकार के न्यायिक प्रकरणों की सुनवायी एवं अन्य आवश्यक कार्य।
12	श्री अपूर्व मेहरोत्रा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मानपुर	सिविल जिला उमरिया (केवल तहसील मानपुर)	1–व्यवहार वाद रुपये 0/– (शून्य) से 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक मूल्यांकन के एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2–अन्य वाद व प्रकरण जो व्यवहारवाद के 5,00,000 (पांच लाख) तक के मूल्य के हों। 3–लघुवाद प्रकरण 200/–रुपये तक के (धारा 9 के द्वारा प्राधिकृत)। 4–भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) से उद्भूत मामलों की सुनवाई। 5–व्यवहार वाद या अन्य न्यायिक कार्य जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश उमरिया द्वारा अंतरित किये गये।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।

(विवेक कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)

ब– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(8) एवं सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 21(4) के अंतर्गत कार्यरत पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य के लिए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो **तत्काल** प्रभावशील होगा। उक्त व्यवस्था ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाशों के लिए भी लागू रहेगी।

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम प्राधिकृत न्यायाधीश	द्वितीय प्राधिकृत न्यायाधीश	तृतीय प्राधिकृत न्यायाधीश
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
2	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
3	द्वितीय जिला एवं	प्रथम जिला एवं अपर	तृतीय जिला एवं	प्रधान जिला एवं सत्र

	अपर सत्र न्यायाधीश	सत्र न्यायाधीश	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायाधीश
4	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम प्राधिकृत न्यायाधीश	द्वितीय प्राधिकृत न्यायाधीश
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
2	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
3	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
5	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
6	द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुरपाली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुरपाली	द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उमरिया
8	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मानपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड

नोट :–

1. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की विशेष अधिकारिता एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में उनकी अनुपस्थिति में प्रथमतः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इसके पश्चात तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया या उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, उमरिया आवश्यक कार्य देखेंगे।

2. सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने की दशा में, उनकी न्यायालय में सोमवार व बुधवार को प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एवं मंगलवार व गुरूवार को प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एवं शुक्रवार व शनिवार को प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रेषित किये जायेंगे तथा उक्तानुसार दिवसों में संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश द्वारा उन जमानत आवेदन पत्रों पर सुनवायी की जायेगी तथा उनके अवकाश पर रहने पर उनके प्रभारी न्यायाधीश द्वारा सुनवायी की जायेगी।

3. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की विशेष अधिकारिता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों में उनकी अनुपस्थिति में प्रथमतः द्वितीय सत्र न्यायाधीश उमरिया या उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, उमरिया आवश्यक कार्य देखेंगे।

4. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के द्वारा निष्पादन किये गये प्रकरण एवं संधारित की गई विविध कार्यवाही/सुनवाई (POCSO+OAW को छोड़कर) द्वितीय जिला एवं अपर सत्र

न्यायालय के द्वारा की जावेगी। उक्त न्यायालय से संबंधित प्रकरण (POCSO+OAW को छोड़कर) स्वमेव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित होना माने जावेगें।

5. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के रिक्त एवं बंद होने की स्थिति में द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया एवं द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के रिक्त एवं बंद होने की स्थिति में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य सम्पादित करेंगे।

6. किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, न्यायालय के रिक्त एवं बंद होने की स्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया तथा किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, न्यायालय के रिक्त एवं बंद होने की स्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया आवश्यक सिविल कार्य सम्पादित करेंगे।

7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के अंतर्गत सत्र न्यायालयों में प्रस्तुत ऐसे जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे जिस न्यायालय में उससे संबंधित प्रकरण लंबित हों, साथ ही ऐसे जमानत आवेदन पत्र जिनसे संबंधित पूर्व में सुनवाई की जा चुकी है, वह जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय में सुनवाई हेतु केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग के द्वारा उसी न्यायालय में अंतरित किये जायेंगे जिनके द्वारा पूर्व आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जमानत आवेदन पत्र केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग में पंजीयन होने के उपरांत अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।

8. एससी/एसटी अधिनियम से संबंधित विशेष प्रकरण स्वतः सत्र न्यायाधीश तथा एनडीपीएस, विद्युत अधिनियम, भ्रष्टाचार अधिनियम से संबंधित विशेष प्रकरण स्वतः प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायालय में सीधे अंतरित माने जावेंगे। इसके साथ ही महिलाओं/पॉक्सो से संबंधित विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र स्वतः तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय में सीधे अंतरित माने जावेंगे।

9. सत्र न्यायाधीश की विशेष अधिकारिता अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रकरण उनकी अनुपस्थिति में प्रथमतः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया या उनकी अनुपस्थिति में प्रथम सत्र न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया आवश्यक कार्य देखेंगे।

(विवेक कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)